मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग,
वल्लभ भवन क्रमांक–3, चतुर्थ तल
मंत्रालय भोपाल

"आदेश"

भोपाल, दिनांक 11 दिसंबर, 2019

क्रमांक एफ 02–04/2019/1/59 : राज्य शासन एतद द्वारा म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा जिला आयुष अधिकारी के पद पर चयनित किए गए निम्नलिखित उम्मीदवार को जिला आयुष अधिकारी के पद पर वेतनमान पुनरीक्षण नियम–2017 के वेतन मेट्रिक्स परिशिष्ट–1 के लेवल 13 के प्रारंभिक वेतन रू. 67,300/– (छटवां वेतनमान वेतन बैंड रू. 15600–39100+ग्रेड पे 6600 पी.बी.बैंड) प्रतिमाह एवं शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्तों पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये नियुक्त कर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थानों में पदस्थ करता है :–

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पदस्थापना स्थान
01	02	03
01	डॉ0नरेन्द्र सिंह लोधी, 29वी, पेवल वे कालोनी असनानी स्कूल के पास बागमुगालिया जिला भोपाल, (म0प्र0) पिन–462043	जिला आयुष अधिकारी जिला सीहोर
02	डॉ0शारदा मिश्रा, पत्नि डॉ.शैवाल मिश्रा द्वारा अर्चना देवी, मकान नं. 28, ब्रहमर्षी कालोनी साकेत धाम रोड ग्वारी घाट जबलपुर, (म0प्र0) पिन–482008	जिला आयुष अधिकारी जिला गुना
03	डॉ0सौरभ पुरवार, फ्लेट नम्बर 307, टावर–5, निराला स्टेट, फैस–01, टीच जोन–4, ग्रेड नोयडा बेस्ट, गौतम बुद्ध नगर, उत्तरप्रदेश, पिन– 201306	जिला आयुष अधिकारी जिला मुरैना
04	डॉ0निधि गुप्ता, ए–11, प्रेम कालोनी, स्टेशन रोड मंदसौर (म0प्र0), पिन–458001	जिला आयुष अधिकारी जिला नीमच
05	डॉ0रितु तिवारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ककरहटीर जिला पन्ना, (म0प्र0) पिन–488333	जिला आयुष अधिकारी जिला सतना
06	डॉ0मनीषा पाठक, 17, मंछागन गणेश एक्सटेन्शन, यंत्र महल रोड उज्जैन (म0प्र0) पिन–456010	जिला आयुष अधिकारी जिला उज्जैन
07	डॉ0सुरत्ना सिंह चौहान, 1112/2, आश्रय परिसर, यादव कॉलोनी जबलपुर (म0प्र0) पिन–482002	जिला आयुष अधिकारी जिला नरसिंहपुर
08	डॉ0नरेन्द्र कुमार पटेल, (रचना शारीर विभाग) पंडित खुशीलाल शर्मा, आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल (म0प्र0) पिन–462003	जिला आयुष अधिकारी जिला सीधी
09	डॉ0प्रमोद कुमार मेहर, एच.आई.जी. जूनियर–37, विन्ध्य विहार कालोनी पडरा रीवा, (म0प्र0) पिन– 486001	जिला आयुष अधिकारी जिला रीवा
10	डॉ0दिनेश कुमार अहिरवार, प्लॉट नं.–37,पंचवटी कालोनी, फैस–2, भोपाल, (म0प्र0) पिन– 462038	जिला आयुष अधिकारी जिला विदिशा

11	डॉ0हिम्मत सिंह डाबर, 208, श्रुति शैल्टर, जाट धर्मशाला के पीछे सुन्दरवन कॉलोनी धार, (म0प्र0) पिन– 454001	जिला आयुष अधिकारी जिला इन्दौर
12	डॉ0गिर्राज-बाथम, अमर सेविका संस्थान, गिर्राजघाट रोड, वार्ड नम्बर–20, श्योपुर, (म0प्र0) पिन– 476337	जिला आयुष अधिकारी जिला देवास
13	डॉ0प्रमिला चौहान, आयुर्वेद औषधालय मण्डी रोड, नागदा जिला धार, (म0प्र0) पिन– 454001	जिला आयुष अधिकारी जिला रतलाम

2/– उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी :–

(1) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम–1961 के नियम–8 एवं म.प्र. आयुष विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 के नियम–19 के अंतर्गत उल्लेखित नियुक्ति प्रथमतः 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगी।

(2) परिवीक्षा अवधि में स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र. सिविल (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 तथा सेवा संबंधी अन्य मुद्दे, नियमित शासकीय सेवक को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाये अथवा लागू किये जावे, के अधीन रहेंगे।

(3) परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने या आगे पर्याप्त कारणों से राज्य शासन द्वारा परिवीक्षा अवधि में आगे वृद्धि की जा सकेगी या सेवाएँ एक माह के नोटिस अथवा नोटिस–पे भुगतान के आधार पर समाप्त की जा सकेंगी।

(4) परिवीक्षा अवधि में सामान्यतः स्थानांतरण नहीं किया जावेगा परन्तु यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण किया जा सकेगा।

(5) उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्चे से स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य है। परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता होगी।

(7) उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की समयावधि में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

(8) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क. एफ सी 3–15/2012/1/3 भोपाल दिनांक 24 नवम्बर 2012 के तहत यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

(9) यदि अभ्यर्थी के द्वारा प्रॉव्हीजनल जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है तो नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 06 माह के अंदर स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बिना किसी नोटिस/नोटिस वेतन के यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा। जाति प्रमाण–पत्र अवैध पाया जाता है तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

(10) नियुक्ति के बाद यदि मूल निवास प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज फर्जी/अवैध पाये जाते हैं तो आपकी (संबंधित जिला आयुष अधिकारी की)नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना किसी नोटिस/नोटिस वेतन के समाप्त की जावेगी एवं आपराधिक प्रकरण भी दायर किया जायेगा।

(11) आपको समय–समय पर शासन अथवा संचालनालय द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना एवं सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य है, अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(12) मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी तथा अर्द्ध अस्थायी) सेवा नियम–1960 के नियम–12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष के द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्तों का भुगतान किये बिना

शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर की देय राशि संबंधित अधिकारी से भू-राजस्व की भाँति वसूली के योग्य होगी।

(13) पदस्थापना के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(14) इन अधिकारियों की आपसी वरिष्ठता म.प्र. लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा निर्धारित वरिष्ठता के अनुसार ही रहेगी।

(15) उपरोक्त नियुक्तियों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण प्रावधान का पालन किया गया है।

(16) नवीन अंशदान पेंशन योजना नियम-2005 लागू होंगें।

3/- नियमित रूप से सेवा में कार्यारत अभ्यार्थियों/सेवकों को तकनीकी औपचारिक त्यागपत्र देना होगा एवं मूलभूत नियम-27 के तहत केवल पूर्व सेवा में अंशदान के कटौत्रा की राशि जिला आयुष अधिकारी की सेवा में समाहित होगी और पूर्व सेवा के संचित अवकाश, इस सेवा में जोडे जाएगे।

4/ यह नियुक्ति आदेश याचिका कमांक WP 11732/17, WP 3719/19, WP 3047/15, WP966/19, 10603/19, WA-1965/2019 (WP 25327/18) में मान. उच्च न्यायालयों द्वारा पारित अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा। पदस्थापना जिले में पदस्थ प्रभारी जिला आयुष अधिकारी अपने मूल पद पर कार्य करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

11-12-19
(कलावती उईके)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग

पृ.क्रमांक एफ 02-04/2019/1/59 भोपाल, दिनांक 11 दिसंबर, 2019

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क.18821/02/2015/चयन, दिनांक 08 मार्च, 2019 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. आयुक्त आयुष संचालनालय म.प्र. भोपाल।
4. आयुक्त जनसम्पर्क, म.प्र. भोपाल।
5. संबंधित कलेक्टर, जिला---------- म.प्र.।
6. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, आयुष विभाग,भोपाल।
7. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन आयुष विभाग, मंत्रालय भोपाल।
8. संबंधित संभागीय आयुष अधिकारी, ------- संभाग -------- म.प्र.।
9. संबंधित जिला आयुष अधिकारी, जिला ---------- म.प्र.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला ---------- म0प्र0
11. संबंधित चयनित जिला आयुष अधिकारी
    चयनित जिला आयुष अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आप इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर उक्त शर्ते मान्य होने संबंधी निर्धारित स्टाम्प में नोटराईज शपथ पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में ही संबंधित जिले में अपना कार्यभार ग्रहण करें।
12. स्टाफ फाईल।

11-12-19
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग